


तारीख दुकान	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज नि. डि. 19/7/2024	नम्बर व तारीख अदालत जहाँ इस हुकम को लागू में जाना है
9-सं- 9/2017 19/7/2024	निगरानी गोपाल/सुबलक्ष्मी अग्निआयुष्य प्राप्ति उप.। अग्निआयुष्य ने आज भी प्रतिफरीफा के तत्वाना नोटिस चिन्ता नहीं किए हैं। अग्निआयुष्य को तत्वाना नोटिस चिन्ता करने हेतु वर्ष 2018 से लगातार कई अवसर दिए जा चुके हैं। अतः निगरानी तत्वाना नोटिस के अभाव में ऑर्डर 9 नियम 5 अंतर्गत द्वारा CPC में खारिज की जाती है। परावली फैसलानुसार हीकर कार तदमील जायदादा दारखिल इफतर की जावे।  <div style="text-align: right;">             बाबुरखत जिन्ना कलेक्टर            दोंड         </div>	20